

क/अशास./मान्य.नवीनी./RIG-T /2022/208
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 17/02/2022.

प्राचार्य,
इंडियन स्कूल,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 27.01.2022.

संदर्भित आवेदन के अनुसार आपकी संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के पत्र क./3720/मान्यता/2019-20 रायगढ़ दिनांक 27.06.2019 में उल्लेखित शर्तों के अधीन एवं नोडल अधिकारी/प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. चक्रधर नगर, जिला-रायगढ़ के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इंडियन स्कूल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) (यू डीएस-22041515017) को नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक सत्र 2020-21 से सत्र 2022-23 कुल तीन वर्षों के लिये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शाला संचालन करने हेतु अनंतिम मान्यता (नवीनीकरण) प्रदान करने की संसूचना छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश क्रमांक एफ-02-39/2019/20 - दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :-

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत उल्लेखित मानकों के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नहीं हानि नहीं (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्ष नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोसंरचना होना अनिवार्य है :-
 - विद्यालय का भवन - प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।
 - खेल का मैदान।
 - प्राचार्य/ प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक - पृथक कक्ष।
 - स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिये पृथक - पृथक शौचालय की व्यवस्था।
 - द्विव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
 - प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
 - स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
 - शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।


For, Gyan Asha Educational Society

M. Prasad
Manager

Principal

Indian School


- बाधारहित पहुंच. मार्ग, आदि।
- क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोग शाला की पृथक - पृथक उपलब्धता।
- 6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
- 7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
- 8. आपके विद्यालय को यू डार्ईस-22041515017 को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
- 9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय /संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
- 10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
- 11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नहीं करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.खं. शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
- 12. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।


 17/02/2022
 संयुक्त संचालक
 शिक्षा संभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ़


पृ.क/अशास./मान्य नवीनी / RIG-T / 2022 / 288A
 प्रतिलिपि:-

बिलासपुर, दिनांक 17/02/2022

01. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।


 17/02/20
 संयुक्त संचालक
 शिक्षा संभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ़

For, Gyan Asha Educational Society


 Manager



Principal
 Indian School